

अहकाम
हुक्म की तामा
जारी हुए

आर.सी.एम.एस. नम्बर 2019/00304

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बजईलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)

पिठारसीन अधिकारी:-साधुराम जाट
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत इस्तकरारहक व बंटवारा

अन्तिम डिक्री मुकदमा इब्दादाई

मुकदमा नम्बर :-95 /2019(ताराचन्द बनाम सरकार जरिये तहसीलदार वगैरह)

निर्णय दिनांक :- 18.01.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रुबरू, साधुराम जाट (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रुबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 17.08.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा काश्त के अनुसार विधिवत् विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू0अ0/2021/2103 दिनांक 23.11.2021 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। विभाजन प्रस्ताव एवं सलग्न नक्शे अनुसार अन्तिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं सलग्न नक्शा अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा।



युक्त न्यायाधीश के दस्तखत व मुहर आदलत से आज तारीख 18.01.2022 को जारी की गई।

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर
18/1/22